

उच्च टियर II पूंजी में शाश्वत संचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) को शामिल करने के लिए मानदंड

1. जारी करने की शर्तें

(i) लिखतों की विशेषताएं

(ए) ये लिखत न्यूनतम 15 वर्षों की नियत परिपक्वता वाली या तो शाश्वत (पीसीपीएस) या दिनांकित (आरएनसीपीएस और आरसीपीएस) लिखत हो सकते हैं।

(बी) शाश्वत लिखत संचयी होंगे। दिनांकित लिखत संचयी या गैर-संचयी हो सकते हैं।

(ii) सीमाएं

टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ इन लिखतों की बकाया राशि किसी भी समय टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों की कटौती के बाद किन्तु निवेश की कटौती से पहले टियर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी

(iii) राशि

जुटाई जाने वाली राशि के संबंध में निर्णय बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा।

(iv) विकल्प

- (i) इन लिखतों को 'विक्रय विकल्प' या 'वृद्धिशील विकल्प' के साथ जारी नहीं किया जाएगा।
- (ii) हालांकि, बैंक निम्नलिखित शर्तों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करके किसी विशेष तिथि पर क्रय विकल्प वाली लिखतों को जारी कर सकते हैं:

(ए) लिखत के कम से कम दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही उस पर क्रय विकल्प की अनुमति दी जाएगी; और

(बी) क्रय विकल्प का प्रयोग आरबीआई (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ क्रय विकल्प के प्रयोग के समय और क्रय

विकल्प के प्रयोग के बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा ।

(v) कूपन

निवेशकों को देय कूपन या तो नियत दर पर या रुपये ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में बाजार निर्धारित अस्थाई दर पर हो सकता है।

(vi) कूपन का भुगतान

(i) इन लिखतों पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लाभ और हानि खाते के नामे डाला जाएगा। हालांकि, यह तभी देय होगा, जब

(ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से अधिक है।

(बी) इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से नीचे नहीं आता है या उससे कम नहीं होता है।

(सी) बैंक को निवल हानि नहीं हो रहा है। इस उद्देश्य के लिए, "निवल हानि" या तो (i) पिछले वित्तीय छमही /वर्ष के अंत में, जो भी स्थिति हो, संचित हानि के रूप में या (ii) चालू वित्त वर्ष के दौरान हुए हानि के रूप में परिभाषित किया गया है ।

(डी) पीसीपीएस और आरसीपीएस के मामले में अदत्त/ आंशिक रूप से अदत्त कूपन को देयता माना जाएगा। देय और शेष अदत्त ब्याज राशि को बाद के वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है, जो बैंक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगा।

(ई) आरएनसीपीएस के मामले में, आस्थगित कूपन का भुगतान भविष्य के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर विनियामकीय न्यूनतम सीमा के अनुरूप हो । हालांकि बैंक निर्धारित दर से कम दर पर कूपन का भुगतान कर सकता है, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध है और सीआरएआर का स्तर विनियामकीय न्यूनतम सीमा के अनुरूप है।

(ii) ब्याज का भुगतान न करने/ निर्धारित दर से कम दर पर ब्याज का भुगतान करने के सभी घटनाओं की सूचना जारी करने वाले बैंकों द्वारा विनियमन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जाए ।

(vii) उच्च टियर II में शामिल प्रतिदेय अधिमान शेयरों का मोचन/ चुकौती

(i) धारक की पहल पर इन लिखतों को प्रतिदेय नहीं किया जाएगा।

(ii) परिपक्वता के पश्चात इन लिखतों का मोचन भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से अधिक है

बी) इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से नीचे नहीं आता है या उससे कम नहीं होता है।

(viii) दावे की वरिष्ठता

इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और लोवर टियर II और जमाकर्ताओं सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ होंगे। उच्च टियर II में शामिल विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच, दावे एक दूसरे के समरूप होंगे।

(ix) सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से परिशोधन

प्रतिदेय अधिमान शेयर (संचयी और गैर-संचयी दोनों) को उनकी अवधि के पिछले पांच वर्षों में जैसे-जैसे वे परिपक्वता के निकट पहुँचते हैं, टियर II पूंजी में शामिल होने की पात्रता हेतु पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए उन्हें नीचे दी गई तालिका में दर्शाये अनुसार प्रगतिशील छूट के अधीन किया जाएगा

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष और उससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष और उससे अधिक किन्तु चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष और उससे अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	20

(x) अन्य शर्तें

ए) ये लिखतें पूर्णतः चुकता, गैर-प्रतिभूतित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगी ।

बी) प्रत्येक एफआईआई द्वारा निवेश निर्गम के अधिकतम 10 प्रतिशत तक और प्रत्येक एनआरआई द्वारा निवेश निर्गम के अधिकतम 5 प्रतिशत तक के अधीन रहते हुए एफआईआई और एनआरआई द्वारा निवेश क्रमशः 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा । इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित रुपये मूल्ययुक्त कॉरपोरेट ऋण के लिए ईसीबी सीमा से बाहर होगा। हालांकि, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश अलग सीमा के अधीन होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयरों और इक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता वैधानिक/नियामकीय सीमा के अधीन होगी।

सी) बैंक, लिखतों के जारी करने के संबंध में सेबी/अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

2. रिज़र्व आवश्यकताओं का अनुपालन

ए) इस निर्गम के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई और इन लिखतों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए धारित धनराशि को आरक्षित आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य के समय ध्यान में रखा जाएगा ।

बी) इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से किसी बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य से निवल मांग और मियादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा और इस प्रकार सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकताओं के लिए लागू होगा।

3. रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं

इन लिखतों को जारी करने वाले बैंक निर्गम प्रक्रिया पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ ऊपर पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित उठाए गए ऋण का ब्यौरा देते हुए, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में निवेश

ए) इन निदेशों के पैराग्राफ 14 में निर्धारित बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की प्रतिधारिता के लिए 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए उच्च टियर II लिखतों में बैंक के निवेश की गणना पूंजी की स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी।

बी) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी इन लिखतों में बैंक के निवेश के लिए इन निदेशों के पैराग्राफ 14 (iv) में निर्धारित पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारिता लागू होगी।

5. इन लिखतों के बदले अग्रिम का अनुदान

बैंक उनके द्वारा जारी इन लिखतों की जमानत के बदले में अग्रिम प्रदान नहीं करेंगे।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को तुलन पत्र की अनुसूची 4-उधार के अंतर्गत उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा